بہار شریعت سے

हैज़ निफ़ास व इस्तेहाज़ा का बयान

हैज़ का बयान   हैज़ के मसाइल
निफ़ास का बयान
हैज़ व निफ़ास के मुतल्लिक़ अहकाम
इस्तेहाज़ा का बयान   माअज़ूर के मसाइल

सदरुश्शरीआ बदरुत्तरीक़ा
अल्लामा अमजद अ़ली आ़ज़मी
رحمہ اللہ تعالی

SADARUSHSHARIA, BADARUT TARIQA
ALLAMA AMJAD ALI AAZMI

PRESENTATION
ILM KI RAUSHNI
Visit:
ilmkiraushni.blogspot.com

हैज़

निफ़ास व इस्तेहाज़ा का बयान

सदरुश्शरीआ बदरुत्तरीक़ा

अ़ल्लामा अ़मजद अ़ली आज़मी

رحمہ اللہ تعالی

पेशकश : इ़ल्म की रौशनी

हैज़ का बयान

अल्लाह جَلَّ جَلَالُہٗ इरशाद फ़रमाता है :-
अल क़ुरआन

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

ऐ महबूब! तुम से हैज़ के बारे में लोग सवाल करते हैं तुम फ़रमा दो वह गंदी चीज़ है तो हैज़ में औरतों से बचो और उन से क़ुरबत ना करो जब तक पाक ना हो लें तो जब पाक हो जाएं उन के पास उस जगह से आवो जिस का अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया बेशक अल्लाह दोस्त रखता है तौबा करने वालों को और दोस्त रखता है पाक होने वालों को।
तर्जमा कन्जुल ईमान, पारा 2, रुकूअ 11, आयत 222.

हदीस शरीफ़ :- सहीह् मुस्लिम में अन्स बिन मालिक رضی اللہ تعالٰی عنہ से मरवी, फ़रमाते हैं कि यहुदीयों में जब किसी औरत को हैज़ आता तो उसे ना अपने साथ खिलाते ना अपने साथ घरों में रखते।

सहाबा ए किराम رضی اللہ تعالٰی عنہم ने नबी ए करीम "ﷺ" से सवाल किया उस पर अल्लाह तआला ने आयत وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ नाज़िल फ़रमाइ तो रसूलल्लाह ﷺ ने इरशाद फ़रमाया :- जिम्आ के सिवा हर शय (चीज़) करो।

हदीस शरीफ़ :- सहीह् बुख़ारी में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत ए आईशा सिद्दिक़ा رضی اللہ تعالٰی عنہا फ़रमाती हैं हम हज के लिए निकले जब सर्फ़(मक्का के

क़रीब एक मक़ाम है) में पहुंचे मुझे हैज़ आया तो मैं रो रही थी कि रसूलल्लाह "ﷺ" मेरे पास तशरीफ़ लाए फ़रमाया :- तुझे क्या हुआ? क्या तुम हाइज़ हुई? अर्ज़ की, हाँ। फ़रमाया ये एक ऐसी चीज़ है जिस को अल्लाह तआला ने बनाते आदम पर लिख दिया है तो सिवा ख़ाना ए काबा के तवाफ़ के सब कुछ अदा कर जिसे हज करने वाला अदा करता है। और फ़रमाती हैं हुज़ूर "ﷺ" ने अपनी अज़वाजे मोतेहरात की तरफ़ से एक गाय क़ुरबानी की।

हदीस शरीफ़ :- सहीह् मुस्लिम में उम्मुल मोमिनीन हज़रत ए आईशा सिद्दिक़ा رضی اللہ تعالٰی عنہا से है, फ़रमाती हैं कि ज़माना हैज़ में, मैं पानी पीती फ़िर हुज़ूर "ﷺ" को दे देती तो जिस जगह मेरा मुँह लगा था हुज़ूर "ﷺ" वहीं दहन मुबारक रख कर पीते और हालते हैज़ में, मैं हड्डी से गोश्त नोच कर खाती फ़िर हुज़ूर "ﷺ" को दे देती तो हुज़ूर "ﷺ" अपना दहन शरीफ़ उस जगह रखते जहां मेरा मुँह लगा था।

हैज़ की हिकमत:-

औरत बालिग़ा के बदन में फ़ितरतन ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ख़ून पैदा होता है कि हमल की हालत में वह ख़ून बच्चे की ग़िज़ा में काम आए और बच्चे के दुध पीने के ज़माने में वही ख़ून दूध हो जाए और ऐसा ना हो तो हमल और दुध पिलाने के ज़माने में उस की जान पर बन जाए, यही वजह है कि हमल और इबतदाए शिर ख़्वारगी में ख़ून नहीं आता और जिस ज़माने में ना हमल हो ना दुध पिलाना वह ख़ून अगर बदन से ना निकले तो क़िस्म - क़िस्म की बीमारियाँ हो जाएं।

बहार ए शरीअत, जिल्द 1, हिस्सा 2, सफ़ा 371

हैज़ के मसाइल

1. बालिग़ा औरत के आगे के मक़ाम से जो ख़ून आदी तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से ना हो, उसे हैज़ कहते हैं और बीमारी से हो तो इस्तेहाज़ा और बच्चा होने के बाद हो तो निफ़ास कहते हैं।

2. हैज़ की मुद्दत कम से कम तीन (3) दिन तीन (3) रातें यानी पूरे बहत्तर (72) घन्टे, एक मिनट भी अगर कम है तो हैज़ नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा दस (10) दिन दस रातें हैं।

3. बहत्तर (72) घंटे से ज़रा भी पहले ख़त्म हो जाए तो हैज़ नहीं बल्कि इस्तेहाज़ा है। हाँ अगर किरण चमकी थी कि शुरू हुआ और तीन दिन तीन रातें पूरी हो कर किरण चमकने ही के वक़्त ख़त्म हुआ तो हैज़ है। अगरचे दिन बढ़ने के ज़माना में तुलूअ रोज़ बरोज़ पहले और ग़ुरूब बाद को होता रहेगा और दिन छोटे होने के ज़माना में आफ़ताब(सूरज) का निकलना बाद को और डूबना पहले होता रहेगा जिस की वजह से उन तीन दिन रात की मिक़दार 72 घंटे होना जरूरी नहीं। मगर ऐन तुलूअ से तुलूअ और ग़ुरूब से ग़ुरूब तक ज़रूर एक दिन रात है, उन के मासिवा अगर और किसी वक़्त शुरू हुआ तो वही 24 घंटे पूरे का एक दिन रात लिया जाएगा, मस्लन आज सुबह को ठीक 9 बजे शुरू हुआ और उस वक़्त पूरा पहर दिन चढ़ा था तो कल ठीक 9 बजे एक दिन रात होगा अगरचे अभी पूरा पहर भर दिन ना आया, जब कि आज का तुलूअ कल के तुलूअ से बाद हो, या पहर भर से ज़्यादा दिन आ गया हो जब के आज का तुलूअ कल के तुलूअ से पहले हो।

4. दस (10) रात दिन से कुछ भी ज़्यादा ख़ून आया तो अगर ये हैज़ पहली मर्तबा उसे आया है तो दस दिन तक हैज़ का है बाद का इस्तेहाज़ा और अगर

पहले उसे हैज़ आ चुके हैं और आदत दस दिन से कम की थी तो आदत से जितना ज़्यादा हो इस्तेहाज़ा है। इसे यूँ समझो कि उस को पांच (5) दिन की आदत थी अब आया दस (10) दिन तो कुल हैज़ है और बारह (12) आया तो पांच (5) दिन हैज़ के बाक़ि सात (7) दिन इस्तेहाज़ा के और एक हालत मुक़र्रर ना थी बल्कि कभी चार (4) दिन कभी पांच (5) दिन तो पिछले बार जितने दिन थे वही अब भी हैज़ के हैं बाक़ि इस्तेहाज़ा।

5. ये ज़रूरी नहीं कि मुद्दत में हर वक़्त ख़ून जारी रहे जब ही हैज़ हो बल्कि अगर बाअज़ - बाअज़ वक़्त भी आए जब भी हैज़ है।

6. कम से कम 9 बरस की उम्र से हैज़ शुरू होगा और इन्तहाई उम्र हैज़ आने की 55 साल है। इस उम्र वाली औरत को आइसा और उस उम्र को सिन्ने अयास कहते हैं।

7. 9 बरस की उम्र से पेशतर जो ख़ून आए इस्तेहाज़ा है। युहीं 55 साल की उम्र के बाद जो ख़ून आए। हां पिछली सुरत में अगर ख़ालिस ख़ून आए या जैसा पहले आता था उसी रंग का आया तो हैज़ है।

8. हमल वाली को जो ख़ून आया इस्तेहाज़ा है। युहीं बच्चा होते वक़्त जो ख़ून आया और अभी आधे से ज़्यादा बच्चा बाहर नहीं निकला वो इस्तेहाज़ा है।

9. दो (2) हैज़ों के दरमियान कम से कम पूरे पंद्रह (15) दिन का फ़ासला ज़रूर है। युहीं निफ़ास व हैज़ के दरमियान भी पंद्रह (15) दिन का फ़ासला ज़रूरी है तो अगर निफ़ास ख़त्म होने के बाद पंद्रह (15) दिन पूरे ना हुवे थे कि ख़ून आया तो इस्तेहाज़ा है।

10. हैज़ उस वक़्त से शुमार किया जाएगा कि ख़ून फ़रजे ख़ारिज में आ गया तो अगर कोई कपड़ा रख लिया है जिस की वजह से फ़रजे ख़ारिज में नहीं आया दाख़िल ही में रुका हुआ है तो जब तक कपड़ा ना निकालेगी हैज़ वाली ना होगी। नमाज़े पढ़ेगी, रोज़ा रखेगी।

11. हैज़ के छः (6) रंग हैं...
1 स्याह, 2 सुर्ख़, 3 सब्ज़, 4 ज़र्द, 5 गदला, 6 मटिला ।
सफ़ेद रंग की रतुबत हैज़ नहीं।

12. दस(10) दिन के अंदर रतुबत में ज़रा भी मैलापन है तो वह हैज़ है। और दस दिन रात के बाद भी मैलापन बाक़ी है तो आदत वाली के लिए जो दिन आदत के हैं हैज़ है और आदत से बाद वाले इस्तेहाज़ा और अगर कुछ आदत नहीं तो दस दिन रात तक हैज़ बाक़ी इस्तेहाज़ा।

13. गद्दी जब तर थी तो उसमें ज़र्दी या मैलापन था बाद सुख जाने के सफ़ेद हो गई तो मुद्दत हैज़ में हैज़ ही है, और अगर जब देखा था सफ़ेद थी सुख कर ज़र्द हो गई तो ये हैज़ नहीं।

14. जिस औरत को पहली मर्तबा ख़ून आया और उसका सिलसिला महीनों या बरसों जारी रहा के बीच में पन्द्रह (15) दिन के लिए भी न रुका, तो जिस दिन से ख़ून आना शुरू हुआ उस रोज से दस(10) दिन तक हैज़ और बीस(20) दिन इस्तेहाज़ा के समझे और जब तक ख़ून जारी रहे यही क़ायदा बरते।

15. और अगर उससे पेश्तर हैज़ आ चुका है तो उससे पहले जितने दिन हैज़ के थे हर तीस(30) दिन में उतने दिन हैज़ के समझे बाक़ी जो दिन बचे इस्तेहाज़ा।

16. जिस औरत को उम्र भर ख़ून आया ही नहीं या आया मगर तीन(3) दिन से कम आया, तो उम्र भर वो पाक ही रही और अगर एक बार तीन दिन रात ख़ून आया,
फिर कभी न आया तो वह फ़क़्त तीन दिन रात हैज़ के हैं बाक़ी हमेशा के लिए पाक।

17. जिस औरत को दस(10) दिन ख़ून आया उसके बाद साल भर तक पाक रही फिर बराबर ख़ून जारी रहा तो वो उस ज़माने में नमाज़,
रोज़े के लिए हर महीने में दस दिन हैज़ के समझे बीस(20) दिन इस्तेहाज़ा।

18. जिस औरत को ना पहले हैज़ के दिन याद, ना ये याद के किन तारीख़ों में आया था, अब तीन दिन या ज़्यादा ख़ून आ कर बंद हो गया,
फ़िर तहारत के पंद्रह (15) दिन पूरे ना हुवे थे कि फ़िर ख़ून जारी हुआ और हमेशा को जारी हो गया तो उस का वही हुक्म है जैसे किसी को पहली - पहली ख़ून आया और हमेशा को जारी हो गया कि दस (10) दिन हैज़ के शुमार करे फ़िर बीस (20) दिन तहारत के।

19. जिस की एक आदत मुक़र्रर ना हो बल्कि कभी मसलन छः (6) दिन हैज़ के हों और कभी सात, अब जो ख़ून आया तो बंद होता ही नहीं, तो उस के लिए नमाज़, रोज़े के हक़ में कम मुद्दत यानी छः (6) दिन हैज़ के क़रार दिए जाएंगे और सातवें (7) रोज़ नहा कर नमाज़ पढ़े और रोज़ा रखे मगर सात (7) दिन पूरे होने के बाद फ़िर नहाने का हुक्म है और सातवें (7) दिन जो फ़र्ज़ रोज़ा रखा है उस की क़ज़ा करे और इद्दत गुज़रने या शौहर के पास रहने के बारे में ज़्यादा मुद्दत यानी सात दिन हैज़ के माने जाएंगे यानी सातवें दिन उस से क़ुरबत जायज़ नहीं।

20. किसी को एक दो दिन ख़ून आ कर बंद हो गया और दस दिन पूरे ना हुवे कि फ़िर ख़ून आया दसवें दिन बंद हो गया तो ये दसों (10) दिन हैज़ के हैं और अगर दस दिन के बाद भी जारी रहा तो अगर आदत पहले की मालूम है तो आदत के दिनों में हैज़ है बाक़ी इस्तेहाज़ा वर्ना दस दिन हैज़ के बाक़ी इस्तेहाज़ा।

21. किसी की आदत थी कि फ़लां तारीख़ में हैज़ हो, अब उस से एक दिन पेश्तर ख़ून आ कर बंद हो गया, फ़िर दस (10) दिन तक नहीं आया और ग्यारहवें (11) दिन फ़िर आ गया तो ख़ून ना आने के जो ये दस दिन हैं,
उन में से अपनी आदत के दिनों के बराबर हैज़ क़रार दे और अगर तारीख़ तो मुक़र्रर थी मगर हैज़ के दिन मुअय्यन ना थे तो ये दसों (10) दिन ख़ून ना आने के हैज़ हैं।

22. जिस औरत को तीन (3) दिन से कम ख़ून आ कर बंद हो गया और पंद्रह (15) दिन पूरे ना हुवे कि फ़िर आ गया, तो पहली मर्तबा जब से ख़ून आना शुरु हुआ है हैज़ है, अब अगर उसकी कोई आदत है तो आदत के बराबर हैज़ के दिन शुमार कर ले। वरना शुरु से दस दिन तक हैज़ और पिछली मर्तबा का ख़ून इस्तेहाज़ा।

23. किसी को पूरे तीन (3) दिन रात ख़ून आ कर बंद हो गया और उस की आदत उस से ज़्यादा की थी फ़िर तीन दिन रात के बाद सफ़ेद रतुबत आदत के दिनों तक आती रही तो उस के लिए सिर्फ़ वही तीन दिन रात हैज़ के हैं और आदत बदल गई।

24. तीन (3) दिन रात से कम ख़ून आया, फ़िर पंद्रह (15) दिन तक पाक रही, फ़िर तीन दिन रात से कम आया तो ना पहली मर्तबा का हैज़ है ना ये बल्कि दोनों इस्तेहाज़ा हैं।
बहार ए शरीअत, जिल्द 1, हिस्सा 2, सफ़ा 376 - 377

निफ़ास का बयान

बच्चा पैदा होने के बाद जो ख़ून औरत के आगे के मक़ाम से निकलता है उसे निफ़ास कहते हैं।

मसाइल

1. निफ़ास में कमी की जानिब कोई मुद्दत मुक़र्रर नहीं, निस्फ़ (आधा) से ज़्यादा बच्चा निकलने के बाद एक आन भी ख़ून आया तो वो निफ़ास है और ज़्यादा से ज़्यादा उस का ज़माना 40 दिन रात है और निफ़ास की मुद्दत का शुमार उस वक़्त से होगा कि आधे से ज़्यादा बच्चा निकल आया और इस बयान में जहां बच्चा होने का लफ़्ज आएगा उस का मतलब आधे से ज़्यादा बाहर आ जाना है।

2. किसी को 40 दिन से ज़्यादा ख़ून आया तो अगर उस के पहली बार बच्चा पैदा हुआ है या ये याद नहीं कि उस से पहले बच्चा पैदा होने में कितने दिन ख़ून आया था, तो 40 दिन रात निफ़ास है बाक़ी इस्तेहाज़ा और जो पहली आदत मालूम हो तो आदत के दिनों तक निफ़ास है और जितना ज़्यादा है वो इस्तेहाज़ा, जैसे आदत 30 दिन की थी इस बार 45 दिन आया तो 30 दिन निफ़ास के हैं और 15 दिन इस्तेहाज़ा के।

3. बच्चा पैदा होने से पेशतर (पहले) जो ख़ून आया निफ़ास नहीं बल्कि इस्तेहाज़ा है अगरचे आधा बाहर आ गया हो।

4. हमल साक़ित हो गया और उस का कोई अज़ु (हिस्सा) बन चुका है जैसे हांथ, पांव या उंगलियां तो ये ख़ून निफ़ास है। वरना अगर 3 दिन रात तक रहा और उस से पहले 15 दिन पाक रहने का ज़माना गुज़र चुका है तो हैज़ है और

जो 3 दिन से पहले ही बंद हो गया या अभी पूरे 15 दिन तहारत के नहीं गुज़रे हैं तो इस्तेहाज़ा है।

5. पेट से बच्चा काट कर निकाला गया, तो उस के आधे से ज़्यादा निकालने के बाद निफ़ास है।

6. हमल साक़ित होने से पहले कुछ ख़ून आया कुछ बाद को, तो पहले वाला इस्तेहाज़ा है बाद वाला निफ़ास, ये उस सूरत में है जब कोई अज़ु (हिस्सा) बन चुका हो, वरना पहले वाला अगर हैज़ हो सकता है तो हैज़ है नहीं तो इस्तेहाज़ा।

7. हमल साक़ित हुआ और ये मालूम नहीं कि कोई अज़ु बना था या नहीं, ना ये याद कि हमल कितने दिन का था (कि उसी से अज़ु का बनना ना बनना मालूम हो जाता यानी 120 दिन हो गए हैं तो अज़ु बन जाना क़रार दिया जाएगा) और बाद इसक़ात के ख़ून हमेशा को जारी हो गया तो उसे हैज़ के हुक्म में समझे, कि हैज़ की जो आदत थी उस के गुज़रने के बाद नहा कर नमाज़ शुरू कर दे और आदत ना थी तो दस दिन के बाद और बाक़ी वही अहकाम हैं जो हैज़ के बयान में मज़कुर हुए।

8. जिस औरत के 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए यानी दोनों के दरमियान 6 महीने से कम ज़माना है तो पहला ही बच्चा पैदा होने के बाद से निफ़ास समझा जाएगा, फ़िर अगर दूसरा 40 दिन के अंदर पैदा हुआ और ख़ून आया तो पहले से 40 दिन तक निफ़ास है, फ़िर इस्तेहाज़ा और अगर 40 दिन के बाद पैदा हुआ तो उस पिछले के बाद जो ख़ून आया इस्तेहाज़ा है निफ़ास नहीं मगर दूसरे के पैदा होने के बाद भी नहाने का हुक्म दिया जाएगा।

9. जिस औरत के 3 बच्चे हुए कि पहले और दूसरे में 6 महीने से कम फ़ासला है। यूँही दूसरे और तीसरे में अगरचे पहले और तीसरे में 6 महीने का फ़ासला

हो जब भी निफ़ास पहले ही से है, फ़िर अगर 40 दिन के अंदर ये दोनों भी पैदा हो गए तो पहले के बाद से बढ़ से बढ़ 40 दिन तक निफ़ास है और अगर 40 दिन के बाद हैं तो उन के बाद जो ख़ून आएगा इस्तेहाज़ा है मगर उन के बाद भी ग़ुस्ल का हुक्म है।

10. अगर दोनों में 6 महीने या ज़्यादा का फ़ासला है तो दूसरे के बाद भी निफ़ास है।

11. 40 दिन के अंदर कभी ख़ून आया कभी नहीं तो सब निफ़ास ही है अगरचे 15 दिन का फ़ासला हो जाए।

12. उस के रंग के मुतल्लिक़ वही अहकाम हैं जो हैज़ में बयान हुए।

हैज़ व निफ़ास के मुतल्लिक़ अहकाम

यानि हैज़ व निफ़ास में जब औरतें रहती हैं तो वह कौन कौन से काम कर सकती हैं और कौन कौन से नहीं।

मसाइल

हैज़ व निफ़ास वाली औरत को क़ुरआन मजीद पढ़ना देख कर, या ज़बानी और उस का छुना अगरचे उस का जिल्द या चौली या हाशिया को हांथ या उन्गली की नोक या बदन का कोई हिस्सा लगे ये सब ह़राम है।

काग़ज़ के पर्चे पर कोई सुरह या आयत लिखी हो उस का भी छुना ह़राम है। जुज़दान में क़ुरआन मजीद हो तो उस जुज़दान के छुने में हर्ज नहीं।

उस ह़ालत में कुर्ते के दामन या दोपट्टे के आंचल से या किसी ऐसे कपड़े से जिस को पहने, ओढ़े हुए है क़ुरआन मजीद छुना ह़राम है ग़र्ज़ उस ह़ालत में क़ुरआन मजीद व कुतुबे दीनीया पढ़ने और छुने के मुतल्लिक़ वही सब एहकाम हैं जो उस शख़्स के बारे में हैं जिस पर नहाना फ़र्ज़ है जिन का बयान ग़ुस्ल के बाब में गुज़रा।

मुअल्लिमा (पढ़ाने वाली) को हैज़ व निफ़ास हो तो एक एक कलमा सांस तोड़ तोड़ कर पढ़ाए और हिज्जे कराने में कोई ह़र्ज नहीं।

दुआ ए क़ुनूत पढ़ना इस हालत में मकरुह है।

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَسْتَعِیْنُکَ से بِالْکُفَّارِ مُلْحَقٌ

तक दुआ ए क़ुनूत है।

नोट :- ये इमाम मुहम्मद رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ का मज़हब है मगर ज़ाहिर उल रवाया में है कि इस ह़ालत में दुआए क़ुनुत पढ़ना मकरुह नहीं है। "التجنيس لصاحب الهداية" जिल्द 1 सफ़ा 186 पर है कि इसी पर फ़तवा है। ये भी मुमकिन है कि कातिब से मकरुह के बाद "नहीं" लिखना रह गया हो और सदरुश्शरीआ बदरुत्तरीक़ा मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आज़मी علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ की अस्ल इबारत यूं हो :- दुआए क़ुनुत पढ़ना इस हालत में मकरुह नहीं है।

क़ुरआन ए मजीद के अलावा और तमाम अज़कार कलमा शरीफ़, दुरुद शरीफ़ वग़ैरह पढ़ना बेला कराहत जायज़ बल्कि मुस्तहब है और इन चीज़ों को वज़ू या कुल्ली करके पढ़ना बेहतर और वैसे ही पढ़ लिया जब भी हर्ज़ नहीं और उन के छुने में भी हर्ज़ नहीं।

ऐसी औरत को अज़ान का जवाब देना जायज़ है।
ऐसी औरत को मस्जिद में जाना ह्राम है।
अगर चोर या दरिन्दे से डर कर मस्जिद में चली गई तो जायज़ है मगर उसे चाहिए कि तयमुम कर ले। यूंही मस्जिद में पानी रखा है या कुआं है और कहीं और पानी नहीं मिलता तो तयमुम करके जाना जायज़ है।

बहार ए शरीअत, जिल्द 1, हिस्सा 2, सफ़ा 379
ईदगाह के अंदर जाने में हर्ज नहीं।

हांथ बढ़ा कर मस्जिद से कोई चीज़ लेना जायज़ है।
ख़ाना ए काबा के अंदर जाना और उस का तवाफ़ करना अगरचे मस्जिद ए ह्राम के बाहर से हो उनके लिए उनके लिए ह्राम है।
उस ह्ालत में रोज़ा रखना और नमाज़ पढ़ना ह्राम है।

उन दिनों में नमाज़ें माफ़ हैं उन की क़ज़ा भी नहीं, और रोज़ों की क़ज़ा और दिनों में रखना फ़र्ज़ है।

नमाज़ का आख़िर वक़्त हो गया और अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी कि हैज़ आया, या बच्चा पैदा हुआ तो उस वक़्त की नमाज़ माफ़ हो गई अगरचे इतना तंग वक़्त हो गया कि उस नमाज़ की गुंजाईश ना हो।

नमाज़ पढ़ते में हैज़ आ गया, या बच्चा पैदा हुआ तो वो नमाज़ माफ़ है, अलबत्ता अगर नफ़्ल नमाज़ थी तो उस की क़ज़ा वाजिब है।
नमाज़ के वक़्त में वज़ु कर के उतनी देर तक ज़िक्र ए इलाही, दुरुद शरीफ़ और दीगर वज़ाइफ़ पढ़ लिया करे जितनी देर तक नमाज़ पढ़ा करती थी कि आदत रहे।

हैज़ वाली को 3 दिन से कम ख़ून आ कर बंद हो गया तो रोज़े रखे और वज़ु कर के नमाज़ पढ़े, नहाने की ज़रूरत नहीं, फ़िर उस के बाद अगर 15 दिन के अंदर ख़ून आया तो अब नहाए और आदत के दिन निकाल कर बाक़ी दिनों की क़ज़ा पढ़े और जिस की कोई आदत नहीं वो 10 दिन के बाद की नमाज़ें क़ज़ा करे, हाँ अगर आदत के दिनों के बाद या बे आदत वाली ने 10 दिन के बाद ग़ुस्ल कर लिया था तो उन दिनों की नमाज़ें हो गए क़ज़ा की हाजत नहीं और आदत के दिनों से पहले के रोज़ों की क़ज़ा करे और बाद के रोज़े हर हाल में हो गए।
जिस औरत को 3 दिन रात के बाद हैज़ बंद हो गया और आदत के दिन अभी पूरे ना हुए या निफ़ास का ख़ून आदत पूरी होने से पहले बंद हो गया, तो बंद होने के बाद ही ग़ुस्ल कर के नमाज़ पढ़ना शुरु कर दे। आदत के दिनों का इन्तज़ार ना करे।

आदत के दिनों से ख़ून मुतजाविज़ हो गया, तो हैज़ में 10 दिन और निफ़ास में 40 दिन तक इन्तज़ार करे अगर उस मुद्दत के अंदर बंद हो गया तो अब से नहा धो कर नमाज़ पढ़े और जो उस मुद्दत के बाद भी जारी रहा तो नहाए और आदत के बाद बाक़ी दिनों की क़ज़ा करे।

हैज़ या निफ़ास आदत के दिन पूरे होने से पहले बंद हो गया तो आख़िर वक़्ते मुस्तहब तक इंतज़ार कर के नहा कर नमाज़ पढ़े और जो आदत के दिन पूरे हो चुके तो इंतज़ार की कुछ हाजत नहीं।

इस्तेहाज़ा का बयान

वो ख़ून जो ना हैज़ के दौरान आए ना निफ़ास में, बल्कि मर्ज़ में जो ख़ून औरत को आए उसे इस्तेहाज़ा कहते हैं।

हदीस शरीफ़

1. उम्मुल मोमिनीन हज़रते आईशा सिद्दिक़ा رضی اللہ تعالیٰ عنہا से मरवी कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश رضی اللہ تعالیٰ عنہا ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह "ﷺ" मुझे इस्तेहाज़ा आता है और पाक नहीं रहती तो क्या नमाज़ छोड़ दूँ? फ़रमाया :- ना, ये तो रग का ख़ून है, हैज़ नहीं है, तो जब हैज़ के दिन आए नमाज़ छोड़ दे और जब जाते रहें ख़ून धो और नमाज़ पढ़।

2. अबु दाऊद व निसाई की रिवायत में फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश رضی اللہ تعالیٰ عنہا से यूँ है कि उन से रसूलल्लाह "ﷺ" ने फ़रमाया कि :- जब हैज़ का ख़ून हो तो सियाह होगा, शनाख़त में आएगा, जब ये हो नमाज़ से बाअज़ रह और जब दूसरी क़िस्म का हो तो वज़ू कर और नमाज़ पढ़, कि वो रंग का ख़ून है।

3. इमाम ए मालिक व अबु दाऊद व दारमी की रिवायत में है कि एक औरत के ख़ून बहता रहता, उस के लिए उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा رضی اللہ تعالیٰ عنہا ने हुज़ूर "ﷺ" से फ़तवा पूछा, इरशाद फ़रमाया कि, उस बीमारी से पेशतर महीने में जितने दिन रातें हैज़ आता था उन की गिनती शुमार करे, महीने में उन्हीं की मीक़दार नमाज़ छोड़ दे और जब वो दिन जाते रहें, तो नहाए और लंगोट बाँध कर नमाज़ पढ़े।

4. अबु दाऊद और तिर्मिज़ी की रिवायत है इरशाद फ़रमाया :- जिन दिनों में हैज़ आता था, उन में नमाज़ें छोड़ दे, फ़िर नहाएं और हर नमाज़ के वक़्त वज़ू करें और रोज़ा रखें और नमाज़ पढ़ें।

इस्तेहाज़ा के अहकाम व मसाइल

1. इस्तेहाज़ा में ना नमाज़ माफ़ है ना रोज़ा, ना ऎसी औरत से सोहबत हराम।

2. इस्तेहाज़ा अगर इस हद तक पहुंच गया कि उस को इतनी मोहलत नहीं मिलती की वज़ू कर के फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर सके तो नमाज़ का पुरा एक वक़्त शुरु से आख़िर तक उसी हालत में गुज़र जाने पर उसको माअज़ुर कहा जाएगा, एक वज़ू से उस वक़्त में जितनी नमाज़ें चाहे पढ़े, ख़ून आने से उसका वज़ू ना जाएगा।

3. अगर कपड़ा वग़ैरह रख कर इतनी देर तक ख़ून रोक सकती है कि वज़ू कर के फ़र्ज़ पढ़ ले तो उज़्र साबित ना होगा।

4. हर वो शख़्स जिस को कोई ऎसी बीमारी है कि एक वक़्त पूरा ऎसा गुज़र गया कि वज़ू के साथ नमाज़ ए फ़र्ज़ अदा ना कर सका वो माअज़ुर है, उस का भी यही हुक्म है कि वक़्त में वज़ू कर ले और आख़िर वक़्त तक जितनी नमाज़ें चाहे उस वज़ू से पढ़े, उस बीमारी से उस का वज़ू नहीं जाता, जैसे क़तरे का मर्ज़, यादास्त आना, या हवा ख़ारिज होना, या दुखती आंख से पानी गिरना, या फोड़े, या नासूर से हर वक़्त रतुबत बहना, या कान, नाफ़, पिस्तान से पानी निकलना कि ये सब बीमारियाँ वज़ू तोड़ने वाली हैं, इन में जब पूरा एक वक़्त ऎसा गुज़र गया कि हर चन्द कोशिश की मगर तहारत के साथ नमाज़ ना पढ़ सका तो उज़्र साबित हो गया।

5. जब उज़्र साबित हो गया तो जब तक हर वक़्त में एक एक बार भी वो चीज़ पायी जाए माअज़ूर ही रहेगा, मसलन औरत को एक वक़्त तो इस्तेहाज़ा ने तहारत की मोहलत नहीं दी अब इतना मौक़ा मिलता है कि वज़ू कर के नमाज़ पढ़ ले मगर अब भी एक आध दफ़अ हर वक़्त में ख़ून आ जाता है तो अब भी माअज़ूर है। यूँही तमाम बीमारियों में और जब पूरा वक़्त गुज़र गया और ख़ून नहीं आया तो अब माअज़ूर ना रही जब फ़िर कभी पहली हालत पैदा हो जाए तो फ़िर माअज़ूर है उस के बाद फ़िर पूरा वक़्त ख़ाली गया तो उज़्र जाता रहा।

6. नमाज़ का कुछ वक़्त ऐसी हालत में गुज़रा कि उज़्र ना था और नमाज़ ना पढ़ी और अब पढ़ने का इरादा किया तो इस्तेहाज़ा या बीमारी से वज़ू जाता रहता है ग़र्ज़ ये बाक़ी वक़्त यूंहीं गुज़र गया और उसी हालत में नमाज़ पढ़ ली तो अब उस के बाद का वक़्त भी पूरा अगर उसी इस्तेहाज़ा या बीमारी में गुज़र गया तो वो पहली भी हो गई और अगर उस वक़्त इतना मौक़ा मिला कि वज़ू कर के फ़र्ज़ पढ़ ले तो पहली नमाज़ का आइदा (दोहराना) करे ।
7. ख़ून बहते में वज़ू किया और वज़ू के बाद ख़ून बंद हो गया और उसी वज़ू से नमाज़ पढ़ी और उस के बाद जो दूसरा वक़्त आया वो भी पूरा गुज़र गया कि ख़ून ना आया तो पहली नमाज़ का आइदा (दुहराए) करे । यूंहीं अगर नमाज़ में बंद हुआ और उसके बाद दूसरे में बिल्कुल ना आया जब भी आइदा करे।

8. फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त जाने से माअज़ूर का वज़ू टूट जाता है जैसे किसी ने असर के वक़्त वज़ू किया था तो आफ़ताब के डूबते ही वज़ू जाता रहा और अगर किसी ने आफ़ताब निकलने के बाद वज़ू किया तो जब तक ज़ोहर का वक़्त ख़त्म ना हो वज़ू ना जाएगा कि अभी तक किसी फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त नहीं गया।

9. वज़ू करते वक़्त वो चीज़ नहीं पायी गई जिस के सबब माअज़ूर है और वज़ू के बाद भी ना पायी गई यहां तक कि बाक़ी पूरा वक़्त नमाज़ का ख़ाली गया तो वक़्त के जाने से वज़ू नहीं टूटता, यूंहीं अगर वज़ू से पेशतर पायी गई मगर ना वज़ू के बाद बाक़ी वक़्त में पायी गई ना उस के बाद दूसरे वक़्त में तो वक़्त जाने से वज़ू ना टुटेगा।

10. और अगर उस वक़्त में वज़ू से पेशतर वो चीज़े पायी गई और वज़ू के बाद भी वक़्त में पायी गई या वज़ू के अंदर पायी गई और वज़ू के बाद उस वक़्त में ना पायी गई मगर बाद वाले में पायी गई, तो वक़्त ख़त्म होने पर वज़ू जाता रहेगा अगरचे वो हदस ना पाया जाए।

11. माअज़ूर का वज़ू उस चीज़ से नहीं जाता जिस के सबब माअज़ूर है, हां अगर कोई दूसरी चीज़ वज़ू तोड़ने वाली पायी गई तो वज़ू जाता रहा। मसलन जिस को क़तरे का मर्ज़ है, हवा निकलने से उस का वज़ू जाता रहेगा और जिस को हवा निकलने का मर्ज़ है, क़तरे से वज़ू जाता रहेगा।
12. माअज़ूर ने किसी हदस के बाद वज़ू किया और वज़ू करते वक़्त वो चीज़ नहीं है जिस के सबब माअज़ूर है, फ़िर वज़ू के बाद वो उज़्र वाली चीज़ पायी गई तो वज़ू जाता रहा, जैसे इस्तेहाज़ा वाली ने पाख़ाना पेशाब के बाद वज़ू किया और वज़ू करते वक़्त ख़ून बंद था बाद वज़ू के आया तो वज़ू टूट गया और अगर वज़ू करते वक़्त वो उज़्र वाली चीज़ पायी जाती थी तो अब वज़ू की ज़रूरत नहीं।

13. माअज़ूर के एक नथने से ख़ून आ रहा था वज़ू के बाद दूसरे नथने से आया वज़ू जाता रहा, या एक ज़ख्म बह रहा था अब दूसरा बहा, यहां तक कि चेचक के एक दाना से पानी आ रहा था अब दूसरे दाना से आया वज़ू टूट गया।

14. अगर किसी तरकीब से उज़्र जाता रहे या उस में कमी हो जाए तो उस तरकीब का करना फ़र्ज़ है, मसलन खड़े हो कर पढ़ने से ख़ून बहता है और बैठ कर पढ़े तो ना बहेगा तो बैठ कर पढ़ना फ़र्ज़ है।

15. माअज़ूर को ऐसा उज़्र है जिसके सबब कपड़े नजीस हो जाते हैं तो अगर एक दिरहम से ज़्यादा नजीस हो गया और जानता है कि इतना मौक़ा है कि उसे धो कर पाक कपड़ो से नमाज़ पढ़ लूंगा तो धो कर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है और अगर जानता है कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते फ़िर उतना ही नजीस हो जाएगा तो धोना ज़रुरी नहीं उसी से पढ़े अगरचे मुसल्ला भी आलुदा हो जाए कुछ हर्ज नहीं और अगर दिरहम के बराबर है तो पहली सुरत में धोना वाजिब और दिरहम से कम है तो सुन्नत और दूसरी सुरत में मुतलक़न ना धोने में कोई हर्ज नहीं।

16. इस्तेहाज़ा वाली अगर ग़ुस्ल करके ज़ोहर की नमाज़ आख़िर वक़्त में और अस्र की वज़ू कर के अव्वल वक़्त में और मग़रीब की ग़ुस्ल करके आख़िर वक़्त में और ईशा की वज़ू कर के अव्वल वक़्त में पढ़े और फ़ज्र की भी ग़ुस्ल करके पढ़े तो बेहतर है और अजब नहीं कि ये अदब जो हदीस में इरशाद हुआ है उसकी रिआयत की बरकत से उस के मर्ज़ को भी फ़ायदा पहुंचे।

17. किसी जख़्म से ऐसी रतुबत निकले के बहे नहीं, तो ना उसकी वजह से वज़ू टूटे, ना माअज़ूर हो, ना वो रतुबत नापाक।

बहार ए शरीअत, जिल्द 1, हिस्सा 2, सफ़ा 387

OTHER PAMPHLETS

SABIYA VIRTUAL PUBLICATION